

📢 इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

🌐 **कृपया इस वेबसाइट** <https://epapers.netlify.app/> को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

🎯 **लक्ष्य:** जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!



धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

CLICK HERE



राजस्थान में विपक्ष के विरोध के बीच कोचिंग सेंटरों पर अंकुश लगाने के लिए संशोधित विधेयक पारित

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विपक्षी कांग्रेस के विरोध के बीच कोचिंग सेंटरों के नियंत्रण और नियमन पर एक संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर छात्रों के हितों से समझौता करने और "कोचिंग माफिया" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

यह विधेयक इस वर्ष मार्च में पेश किया गया था और एक प्रवर समिति को भेजा गया था।

1 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पेश की गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं नियमन) विधेयक, 2025 में कुछ बदलाव किए गए।

संशोधित विधेयक में जुमनि की राशि कम कर दी गई है और इसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों के दायरे को सीमित कर दिया गया है। मूल विधेयक में 50 से अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव था, जबकि संशोधित संस्करण में यह संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। जुमनि की संरचना में बदलाव किया गया है और पहली बार अपराध करने पर न्यूनतम जुर्माना ₹50,000, दूसरी बार अपराध करने पर ₹2 लाख और उसके बाद उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

'उद्योगों को विनियमित करेगा'

तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि यह विधेयक कोचिंग केंद्रों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और उद्योग को विनियमित करने में मदद करेगा।

कांग्रेस विधायकों ने विधेयक का विरोध किया और कहा कि भाजपा सरकार कोचिंग संस्थानों के हाथों में खेल रही है। विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को कोचिंग केंद्रों में दाखिला लेने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

अंगदान के लिए दस्तावेजी सबूतों से दोस्ती कैसे साबित हो सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

दस्तावेजी साक्ष्यों के ज़रिए दोस्ती कैसे साबित की जा सकती है, इस पर सवाल उठाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने असंबंधित अंगदानों को विनियमित करने के लिए गठित एक प्राधिकरण समिति द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पारिवारिक मित्र होने का दावा करने वाले दो व्यक्तियों के बीच गुर्दा प्रत्यारोपण की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने पाया कि समिति ने केवल इरोड कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इरोड निवासी दाता सी. गणेशन और तंजावुर निवासी प्राप्तकर्ता वी. पेरियासामी ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए थे कि वे पारिवारिक मित्र हैं।

उन्होंने लिखा, "यह समझ से परे है कि पारिवारिक मित्र दस्तावेजों के ज़रिए अपने रिश्ते कैसे साबित कर सकते हैं। दोस्तों से जुड़े रिश्ते में भावनाएँ अहम भूमिका निभाती हैं, और यह दस्तावेजों से तय नहीं होती। इसलिए, कलेक्टर द्वारा जिस आधार पर रिपोर्ट दी गई है, उसमें ठोस तर्क का अभाव है।"

नियम क्या कहते हैं

न्यायाधीश ने बताया कि मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, गैर-निकट रिश्तेदारों के बीच अंग प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। न्यायाधीश ने कहा, "यह केवल इस बात पर ज़ोर देता है कि ऐसे दान प्रेम और स्नेह से किए जाने चाहिए, दानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच किसी भी वित्तीय लेन-देन में शामिल नहीं होना चाहिए।" न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा, "कानून यह भी ज़ोर देता है कि दानकर्ता पर कोई दबाव/जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। इस अधिनियम का उद्देश्य गरीबों और वंचितों के शोषण को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि मानव अंगों के प्रत्यारोपण के लिए पैसा ही एकमात्र मानदंड न बन जाए।"

न्यायाधीश ने कहा, "इसमें पेचीदा सवाल यह है कि दानकर्ता और दान प्राप्तकर्ता के निकट संबंधी न होने की स्थिति में यह कौन साबित करेगा कि कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं हुआ है।" उन्होंने आगे कहा कि दानकर्ता और प्राप्तकर्ता से केवल यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे यह दावा करें कि कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं हुआ था।

उत्तराखंड के नैना देवी मंदिर में पशु बलि की अनुमति मिलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

Ishita Mishra
NEW DELHI

Amid large-scale devastation in Uttarakhand due to heavy rain and flash floods that have resulted in the deaths of over 100 people and damage estimated ₹5,000 crore, devotees have been returning to Nainital's Mall Road to worship their patron deity, Nanda Devi, at the annual Naina Devi temple fair.

The event has come under scrutiny this year following the Uttarakhand High Court's order last week, which allowed animal sacrifice during the week-long fair in view of the representation from a local resident.

More than 100 goats have been brought to the festival since then.

Nanda Devi is a manifestation of Goddess Parvati,



Kindling the faith: Devotees at the Naina Devi temple in Nainital, Uttarakhand. SPECIAL ARRANGEMENT

the consort of Shiva, explains Lalit Tiwari, the head of Kumaun University's Botany Department and spokesperson for Ram Sewak Sabha, the trust that has been organising the fair since 1926.

"Nanda Devi is our patron deity. She is our mother and our protector," says

Mr. Tiwari.

He describes the fair as a "dynamic blend of biodiversity, spirituality and music" and a source of employment for local artisans. The event takes place at Nainital's famous Naina Devi temple for around a week, starting from 'ashtami', the eighth day, of 'bha-

drapad', a month in the Hindu calendar.

This year, the fair began on August 28. Similar fairs are also held in other parts of the State, but not on the same scale.

"The local artisans use banana trees to craft idols of the goddess, which are decorated with flowers and spices. The idol is subsequently carried around the town on a palanquin, after which it is immersed in water," the trust spokesperson says.

He adds that the fair attracts people from all walks of life, including those from various castes and communities.

Age-old ritual

Apart from its culture, food and crafts, the fair also draws visitors due to its age-old animal sacrifice ritual. Offerings such as

goats and buffaloes are often made to mark the fulfilment of vows made to Nanda Devi.

'Part of Hindu culture' Bhagwati Prasad Joshi, the chief priest at the temple who also performs the sacrificial rituals, says, "*Bali* (animal sacrifice) has been part of the Hindu culture since time immemorial. In many cases, such as at the Nanda Devi fair, the sacrificed animal is consumed by the devotees as *prasad* (sacred food)."

The priest explains that animals earmarked for sacrifice are fed and bathed before the ritual, after which holy water and sacred rice are sprinkled on them.

"Only the animals that react when holy water and rice are sprinkled over them are considered fit for

sacrifice," he adds.

BJP leader and lawyer Nitin Karki says that the annual ritual was "stopped" in the hill town after a 2010 High Court order based on a plea by an animal rights activist. The court passed a similar order in 2016, he adds. While the orders did not explicitly ban the slaughter of animals, they directed that the sacrifice take place at a slaughterhouse in adherence to the official norms.

However, with a paucity of approved abattoirs in the vicinity, the orders effectively limited the ritual of animal sacrifice, Mr. Karki adds.

On August 28, a day before the festival was set to start, the court allowed the sacrifice with similar restrictions based on a plea by a resident, Pawan Jatav, after the government sub-

mitted that preventing the practice altogether could result in a "law and order situation".

The local civic body has appointed a veterinary doctor, Hema Rathore, outside the Naina Devi temple, whose job is to register every animal entering the premises and ensure that it returns alive in adherence to a recent order by the High Court prohibiting the sacrifice of animals within the temple premises. "Since August 29, a total of 104 goats have been brought to the fair," Ms. Rathore says.

Following clearance by Ms. Rathore, a constable herds the goats to a nearby abattoir. The meat is then distributed among the devotees, says Kamal Jagati, a journalist who has been working in Nainital for over two decades.

हिंदी में सारांश

उत्तराखंड के नैनीताल में वार्षिक नैना देवी मंदिर मेला विनाशकारी मानसून के मौसम के बीच आयोजित हुआ है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और अनुमानतः 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह आयोजन, जो संरक्षक देवी नंदा देवी (देवी पार्वती का एक रूप) को सम्मानित करता है, पशु बलि के पुनः प्रारंभ होने के कारण जांच के दायरे में आ गया है। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, जिसने प्रतिबंधों के साथ अनुष्ठान की अनुमति दी, उत्सव में 100 से अधिक बकरियां लाई गई हैं। हिंदू संस्कृति का एक पुराना हिस्सा मानी जाने वाली इस प्रथा में जानवरों की बलि दी जाती है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में खाया जाता है। हालांकि अदालत ने मंदिर परिसर के भीतर बलि पर रोक लगा दी है और इसे एक अनुमोदित बूचड़खाने में अनिवार्य कर दिया है, फिर भी यह अनुष्ठान एक विवादस्पद मुद्दा बना हुआ है।